न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, IAS

पत्रावली संख्या : 157/17 (प्रा0पत्र)

अनवान्

1. श्रीमती लीलादेवी पत्नी मुकन्द कुमार सामोता निवासी जावड तह. मावली।

..............प्रार्थीयां

बनाम

1. श्री भेरूजी स्थान देह शाश्वत नाबालिग जरिये वाद मित्र जयचन्द पिता विजयचन्द्र सामोता निवासी जावड हाल तहसील रोड नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

...................विपक्षी

उपस्थित–1. श्री चन्द्रपुरी गोस्वामी, अधिवक्ता प्रार्थीयां।
2. श्री कल्याणसिंह चुण्डावत, अधिवक्ता विपक्षी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 14.01.2020

1. प्रार्थीयां ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा जावड पटवार हल्का जावड की आराजी नम्बर 1991, 1992, 2007, 2009, 2011, 2013 किता 6 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में मुझ प्रार्थीयां के नाम अंकित है। नकल जमाबन्दी साथ संलग्न हैं।
2. यह कि उक्त आराजीयात के खातेदारी अधिकार के लिए एक वाद विपक्षी ने न्यायालय आपमें पहले से ही कर रखा है जो आप न्यायालय में विचाराधीन हैं। उक्त वाद में मुझ प्रार्थीयां ने अपना जवाबदावा व काउन्टर दावा पेश कर रखा है और काउन्टर क्लेम में मुझ प्रार्थीयां ने यह बताया कि उक्त वर्णित आराजीयात मुझ प्रार्थीयां की खरीदशुदा है और मुझ प्रार्थीयां के नाम पर वर्तमान में खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में अंकित है जिसमें विपक्षी का कोई हक अधिकार नहीं है लेकिन फिर भी विपक्षी मुझ प्रार्थीयां की खातेदारी की कृषि भूमि के उपयोग उपभोग करने में दखलन्दाजी कर व्यवधान पैदा कर रहा है और मुझ प्रार्थीयां की खातेदारी की जमीन पर कब्जा कर मुझ प्रार्थीयां को बेदखल करना चाह रहा है इसलिए विपक्षी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे। इस तरह उक्त कृषि भूमि में विपक्षी का कोई स्वत्व व अधिकार नहीं हैं। किन्तु विपक्षी के मन में बदयान्ती पैदा हो गई है और वो मौके पर जोर जबरदस्ती से इस मेरे कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि में अनाधिकार प्रवेश कर कब्जा करना चाह रहा है और मुझ प्रार्थीयां को बेदखल करने की धमकीयां दे रहा हैं।
3. यह कि चूंकि वादग्रस्त भूमि मुझ प्रार्थीयां के खाते एवं कब्जे काश्त में है और विपक्षी जोर जबरदस्ती से वाद का निर्णय नहीं होने के बावजूद इसमें अनाधिकार प्रवेश करना

चाह रहा हैं और मुझ प्रार्थीयां को बेदखल करने की धमकीयां दे रहे है इसलिए मैं प्रार्थीयां अस्थाई निषेधाज्ञा से इस अमर की जारी कराने की अधिकारी हुं कि विपक्षी उक्त वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करे, उसमें प्रवेश नहीं करे व मुझ प्रार्थीयां को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे, रहन बैह बक्षीस या अन्य किसी तरीके से हस्तान्तरित नहीं करें।

4. यह कि मुझ प्रार्थीयां का मजबूत प्राइमाफैसी केस हैं। विपक्षी या अन्य किसी व्यक्ति का वादग्रस्त कृषि भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं है और न ही विपक्षी का इस भूमि पर कभी कोई कब्जा काश्त रहा है। कब्जा मुझ प्रार्थीयां का ही चला आ रहा है तथा लाखों रूपयें लगाकर जमीन उपजाऊ बनाई हैं। इसलिए सुविधा संतुलन व अशोधनीय हानि का बिन्दु भी मेरे पक्ष में हैं। क्योंकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझे ज्यादा नुकसान होगा व मुकदमेंबाजी बढेगी जबकि विपक्षी को कोई हानि नहीं होगी।
5. यह कि बिनाय मुखास्मत दिनांक 09.10.2017 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी ने मेरे खाते एवं कब्जेसुदा भूमि में जबरन प्रवेश कर कब्जा करने का प्रयास किया और मना करने पर लडाई झगडा करने पर उतारू हुआ, से उत्पन्न हुआ व उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।
6. अतः प्रार्थना है कि मुझ प्रार्थीयां के पक्ष में विरूद्व विपक्षी इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि जो मेरे खाते एवं कब्जे काश्त की है उसमें विपक्षी स्वयं, परिवारजन, एजेन्ट या अन्य कोई व्यक्ति किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे, इसमें किसी प्रवेश नहीं करे तथा मेरे शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा नहीं पहुंचावे, कब्जा नहीं करे, मौके की यथास्थिति बनाये रखें। ताईद में शपथ पत्र पेश हैं।
7. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि मौजा जावड पटवार हल्का जावड में स्थित आराजी नम्बर 1991 रकबा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 1992 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, आराजी नम्बर 2007 रकबा 1 बिस्वा, आराजी नम्बर 2009 रकबा 9 बिस्वा, आराजी नम्बर 2011 रकबा 19 बिस्वा, आराजी नम्बर 2013 रकबा 1 बिस्वा कुल किता 6 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर राजस्व जमाबन्दी में अवश्य दर्ज है। परन्तु उक्त आराजीयात पूर्व में भेरूजी स्थान देह के नाम पर राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में खातेदारी हक से अंकित चली आ रही थी जिसे राजस्व रेकार्ड में राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर गलत तरीके से नामान्तरकरण खुलवाकर अंकित करा दी है जो भेरूजी स्थान देह के मुकाबले प्रारम्भ से ही शुन्य एवं निष्प्रभावी हैं।
8. यह कि विपक्षी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में प्रार्थीयां द्वारा काउण्टर क्लेम प्रस्तुत करने का कथन स्वीकार है लेकिन प्रार्थीयां द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम गलत एवं मनगढन्त तथ्यों पर आधारित होने के कारण उसमें प्रार्थीयां को कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी और

काउण्टर क्लेम अन्ततः सव्यय खारिज होगा। क्योंकि पूर्व में उपरोक्त कृषि भूमि श्री चतरभुज पिता सवा गुर्जर के नाम पर पुजारी की पुजा–अर्चना एवं सेवा चाकरी वगैरह पुजारी चतरभुज पिता सवा गुर्जर के द्वारा ही की जा रही थी और पुजा–अर्चना के बदले खाने–कमाने एवं उक्जम जमीन से प्राप्त होने वाली आय से मन्दिर सम्बन्धित होने वाले खर्च उठाकर मन्दिर की सुरक्षा करने के लिए उक्त कृषि भूमि को दे रखा था जिस पर मालिकाना हक भी भेरूजी स्थान देह का ही चला आ रहा था। किन्तु चतरभुज के नाम पर उक्त भुमि पुजारी की हैसियत से अंकित होने का नाजायज फायदा उठाते हुये चतरभुज के पुत्र श्री रोडा एवं श्री जीता ने सेटलमेन्ट के दौरान राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत एवं साठ–गाठ कर गलत तरीके से श्री भेरूजी स्थान देह की कुलिया जमीन को अपने नाम पर दर्ज करवा दी और तत्पश्चात् श्री रोडा एवं श्री जीता ने नाजायज लाभ प्राप्त करने की नियत से उक्त भूमि को विक्रय कर खुर्द–बुर्द कर दी जिससे वर्तमान में उक्त भूमि प्रार्थीयां के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है परन्तु प्रार्थीयां का उक्त भूमि के इन्च मात्र भू भाग पर भी कभी कब्जा उपयोग उपभोग नहीं रहा है और न ही वर्तमान में है। ऐसी अवस्था में विपक्षी द्वारा प्रार्थीयां को इस भूमि से बेदखल कर कब्जा करने की धमकीयां देने का सवाल ही पैदा नहीं होता हैं। केवल मात्र उक्त भूमि वर्तमान में प्रार्थीयां के नाम पर अंकित है जिसकी आड लेकर प्रार्थीयां उक्त भेरूजी स्थान देह की जमीन पर कब्जा कर हडपना चाह रही हैं और इसी बदयान्ति से प्रार्थीयां ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो किसी भी अवस्था में चलने योग्य नहीं हैं।

9. यह कि उक्त भूमि पर न तो वर्तमान में प्रार्थीयां का कब्जा काश्त है और न पहले कभी रहा है। लेकिन प्रार्थीयां इस मिथ्या मुकदमें की आड लेकर श्री भेरूजी स्थान देह के मालिकाना हक की जमीन पर अनाधिकार रूप से आधिपत्य जमाना चाह रही है और इस अवैधानिक कृत्य के लिए प्रार्थीयां निरन्तर प्रयासरत है जबकि उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। उक्त भूमि भेरूजी स्थान देह की होकर मालिकाना हक भी भेरूजी स्थान देह का ही निरन्तर निर्बाध रूप से चला आ रहा है और इसी भूमि पर भेरूजी का मन्दिर बना हुआ है जिस पर गांव के लोग पुजा–अर्चना करते आ रहे है तथा खाली पडी जमीन पर गांव के मवेशी चरते–विचरते आ रहे है। वैसे भी मन्दिर मूर्ति नाबालिग है तथा नाबालिग की भूमि के खिलाफ किसी भी व्यक्ति द्वारा काश्त करना किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत अधिकार खातेदारी के या अन्य प्रकार के प्रवृत नहीं होते है। इन श्री भेरूजी स्थान देह की उक्त भूमि किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के खाते नहीं हो सकती है। इस भूमि पर अन्य कोई भी इन्द्राज भगवान के मुकाबले शुन्य निष्प्रभावी होकर बेअसर है। ऐसी अवस्था में जब प्रार्थीयां का कब्जा ही नहीं रहा है तो उसे बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं। इसलिए प्रार्थीयां

विपक्षी के विरूद्व किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारीणी नहीं हैं।

10. यह कि प्रार्थीयां का मजबूत प्राइमाफैसी केस नहीं है और न ही सुविधा संतुलन व अशोधनीय हानि के बिन्दु प्रार्थीयां के पक्ष में हैं क्योंकि उक्त भुमि भेरूजी स्थान देह की होकर मालिकाना हक भी भेरूजी स्थान देह का ही निरन्तर निर्बाध रूप से चला आ रहा हैं और इसी भूमि पर भेरूजी का मन्दिर बना हुआ है जिस पर गांव के लोग पुजा–अर्चना करते आ रहे है तथा खाली पडी जमीन पर गांव के मवेशी चरते–विचरते आ रहे हैं। प्रार्थीयां का उक्त भुमि के इन्च मात्र भू भाग पर भी कभी कब्जा उपयोग उपभोग नहीं रहा है और न ही वर्तमान में है तथा न ही प्रार्थीयां ने इस भूमि पर लाखों रूपये लगाकर जमीन उपजाऊ बनाई हैं। ऐसी अवस्था में प्रार्थीयां को किसी भी प्रकार का नुकसान होने वाला नहीं है और न ही किसी प्रकार की हानि हो रही हैं।

11. प्रार्थीयां को विपक्षी के विरूद्व दिनांक 09.10.2017 को कोई प्रार्थना पत्र कारण पैदा नहीं हुआ हैं। प्रार्थीयां ने मात्र प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की नियत से मनगढन्त प्रार्थना पत्र कारण अंकन किया हैं।

12. अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि मुझ विपक्षी का जवाब स्वीकार फरमा प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र गलत एवं मिथ्या कथनो पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

13. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को सुना। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीयां द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

14. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है :–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि वर्तमान में प्रार्थीयां के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं, जो जमाबन्दी से स्पष्ट है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि के प्रार्थीयां खातेदार काश्तकार हैं। विपक्षी उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थीयां खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीयां के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीयां के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीयां खातेदार काश्तकार हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीयां के पक्ष में साबित होने से सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीयां के

पक्ष में साबित होता हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीयां के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

3. *अपूरणीय क्षति*– चूंकि प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीयां के नाम दर्ज होकर प्रार्थीयां खातेदार काश्तकार हैं। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन के बिन्दु भी प्रार्थीयां के पक्ष में निर्णित हुए हैं। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थीयां के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

15. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीयां द्वारा विपक्षी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीयां के नाम पर दर्ज होकर प्रार्थीयां प्रार्थनाग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार हैं। विपक्षी वर्तमान में उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। विपक्षी के तर्क अनुसार उक्त भूमि पूर्व में भेरूजी स्थान के नाम दर्ज थी, जो बाद में राजस्व अधिकारियों से मिली भगत कर अपने नाम दर्ज करा ली है। चतरभुज जी पुजारी को पुजा करने के बदले दी गई थी। चतरभुज के पुत्र रोडा ने सेटलमेन्ट के दौरान भूमि अपने नाम दर्ज करा ली एवं नाजायज लाभ प्राप्त कर उस भूमि को विक्रय कर दी। उक्त भूमि के खातेदारी घोषणा के लिए काउन्टर क्लेम पेश कर रखा हैं।

16. प्रकरण में प्रार्थीयां प्रार्थनाग्रस्त भूमि की वर्तमान में खातेदार हैं। विपक्षी वर्तमान में खातेदार नहीं हैं। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीयां के पक्ष में निर्णित हुए हैं। विपक्षी द्वारा उजर किया गया कि भूमि पूर्व में मन्दिर के नाम दर्ज थी जो पुजारी चतरभुज के पुत्र रोडा द्वारा गलत जानकारी देकर सेटलमेन्ट के दौरान अपने नाम दर्ज करा ली एवं बाद में विक्रय कर दी। जिसके तहत् उक्त भूमि को पुनः मन्दिर के नाम दर्ज कराने का काउन्टर क्लेम पेश कर रखा हैं। चूंकि इस प्रकरण में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् विपक्षी का कोई प्रतिवाद नहीं हैं। रहा प्रश्न पुनः मन्दिर के नाम भूमि दर्ज कराने हेतु काउन्टर क्लेम बाबत वह मूल वाद में पेश हुआ हैं जो तनकीयात कायम होकर साक्ष्य सबूत के आधार पर निस्तारण कर लिया जायेगा। खातेदार अधिकार सम्बन्धित बिन्दु अस्थाई निषेधाज्ञा में तय नहीं किये जा सकते हैं। प्रार्थीयां खातेदार होने से प्रार्थीयां के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं होने से प्रार्थीयां के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। विपक्षी खातेदार काश्तकार नहीं हैं। इसलिए विपक्षी को प्रार्थीयां के हक हिस्से की भूमि में दखलन्दाजी करने का कोई हक नहीं हैं। इसलिए प्रार्थीयां खातेदार होने से प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायहित में उचित हैं। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा जावड पटवार क्षेत्र जावड तह. मावली की आराजी नम्बर 1991, 1992, 2007, 2009, 2011, 2013 किता 6 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि में विपक्षी मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीयां के नाम दर्ज भूमि के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें, प्रार्थीयां के उपयोग उपभोग में कोई दखलन्दाजी नहीं करें, प्रार्थीयां को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Akshay Godara
Date: 2020.02.06 17:24:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: